

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2019—फाल्गुन 4, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

शुद्धि-पत्र

अधि. क्र. 01-एफ-1-09-2018-अठारह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20-एफ-1-09-2018-अठारह-3, दिनांक 30 जून 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 372 दिनांक 30 जून, 2018 में प्रकाशित की गई थी, में सुधार करने के लिए जारी किया गया, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 652, दिनांक 28 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित शुद्धि-पत्र क्रमांक 45-एफ-1-09-2018-अठारह-3, दिनांक 30 जून, 2018 को विखण्डित किया जाता है तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में, नियम 43 में, उपनियम (3), जो उक्त अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था, में, हिन्दी पाठ में, शब्द "उपरोक्त में कोई नहीं (नोटा)" के स्थान पर, शब्द "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" पढ़े जाएं.

CORRIGENDUM

No. 01-F-1-09-2018-XVIII-3.—The Corrigendum No. 45-F-1-09-2018-XVIII-3 dated 28 December, 2018 published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 652 dated 28 December, 2018 issued for correction in the department's Notification No. 20-F-1-09-2018-18-3 dated 30th June, 2018, which was published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 372 dated 30 June, 2018 is, hereby, rescinded and in the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 in rule 43, in sub-rule (3), which was added by the said notification, in hindi version, for the words, "उपरोक्त में कोई नहीं (नोटा)", the words, "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" shall be read.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.